बिहार सरकार
विधि विभाग

ज्ञाप सं0–जी0 / यो0–31–85 / 2024..... / जे0, पटना, दिनांक.....

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

विषयः– केन्द्र प्रायोजित स्कीम अन्तर्गत व्यवहार न्यायालय, शेखपुरा के परिसर में लॉयर्स हॉल (G+1, जिसमें फाउंडेशन G+2 के लिए हो) के निर्माण के निमित्त रू0–79,55,000 / –(उनासी लाख पचपन हजार रूपये) मात्र की प्राक्कलित राशि की प्रशासनिक स्वीकृति।

आदेशः– स्वीकृत।

2. भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना से व्यवहार न्यायालय, शेखपुरा के परिसर में लॉयर्स हॉल (G+1, जिसमें फाउंडेशन G+2 के लिए हो) के निर्माण के निमित्त रू0–79,55,000 / – जिसमें मुख्य अभियंता (निरूपण), भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना का तकनीकी अनुमोदन प्राप्त है।

3. यह केन्द्र प्रायोजित योजना है जिसमें 60% केन्द्रांश तथा 40%राज्यांश का प्रावधान है।

4. (i) केन्द्रांश की राशि का विकलन मुख्य शीर्ष–4059–लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्यशीर्ष–80–सामान्य, लघुशीर्ष–051– उपशीर्ष–0220–ग्राम न्यायालयों सहित न्यायपालिका हेतु अवसंरचना सुविधा का विकास में स्वीकृत उपबंध की राशि से होगा। इसका विपत्र कोड–03–4059800510220 है।

5. राशि की निकासी केन्द्र प्रायोजित योजना 9174-Infrastructure Facilities for Judiciary के लिए SNA SPARSH के तहत् RBI, Patna में खोले गये आहरण खाता संख्या–01585501145 (IFSC कोड–RBIS0CSSP01) के माध्यम से की जायेगी।

6. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी होंगे तथा राशि की निकासी जिला कोषागार, शेखपुरा से की जायेगी।

6. इस कार्य पर होने वाला व्यय स्वीकृत राशि तक सीमित रहेगी।

7 प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
(51 / टि0, सं0सं0–जी0 / यो0–31–85 / 2024)

8. स्वीकृत्यादेश में प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह0 / –
(बलराम दूबे)
सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञाप सं0–जी0 / यो0–31–85 / 2024..... / जे0, पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपिः– जिला कोषागार पदाधिकारी, शेखपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
(बलराम दूबे)
सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञाप सं0–जी0 / यो0–31–85 / 2024 8627 / जे0, पटना, दिनांक 16.10.26

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना / सचिव, भवन निर्माण विभाग / सचिव (व्यय), वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16.10.26
(बलराम दूबे)
सरकार के सचिव, बिहार।

D:\Prem Prakash\Karlash Jee\scheme administrative sanction\sanction order .docx